करने व ...
अहकाम जो ...
की तामील में ...

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गा प्रसाद मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या 142/2023

उनवानी प्रार्थना पत्र :

निर्णय दिनांक :–12.02.2024

सुखलाल पुत्र मांगीलाल जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी मानपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज०

– प्रार्थी –

बनाम

1. तहसीलदार महोदय, देवली तहसील देवली जिला टोंक राज०

– अप्रार्थी –

उपस्थिति :–

श्री सत्यनारायण धाकड़
अधिवक्ता प्रार्थी

पेरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अ० धारा 136, लेण्ड रेवन्यू एक्ट

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि खसरा नम्बर 95 रकबा 0.45 है0 वाके ग्राम मानपुरा पटवार हल्का बीजवाड़ तहसील देवली जिला टोंक राज0 मे स्थित है। उक्त आराजी भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे प्रार्थी का नाम गलती एवं त्रुटिवश सुखदेव पुत्र मांगीलाल धाकड़ दर्ज हो गया है जो गलत है। प्रार्थी का वास्तविक नाम सुखलाल पुत्र मांगीलाल धाकड़ है तथा प्रार्थी की उक्त आराजी के अलावा आराजी भूमि खसरा नम्बर 96 रकबा 0.50 है0 वाके ग्राम मानपुरा मे स्थित है जिसमे प्रार्थी का नाम सुखलाल पुत्र मांगीलाल धाकड़ सही अंकित हो रखा है तथा प्रार्थी के अन्य सरकारी दस्तावेजात मे भी प्रार्थी का नाम सुखलाल पुत्र मांगीलाल धाकड़ अंकित है। प्रार्थी के पिता के सुखदेव नाम का कोई पुत्र नही है। इस कारण से राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी का नाम सुखदेव पुत्र मांगीलाल धाकड़ के बजाय सुखलाल पुत्र मांगीलाल धाकड़ अंकित किया जाना नितान्त आवश्यक है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड मे गलत अंकन होने से प्रार्थी को काफी परेशानी हो रही है तथा सरकारी योजनाओ का लाभ प्राप्त नही कर पा रहा है ऐसी स्थिति मे राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी का नाम न्यायहित मे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात श्रीमान के क्षेत्राधिकार मे होने से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है।अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी हाल खसरा नम्बर 95 रकबा 0.45 है0 वाके ग्राम मानपुरा पटवार हल्का बीजवाड़ तहसील देवली जिला टोंक राज० मे प्रार्थी का नाम दुरूस्त किया जाकर सुखदेव पुत्र मांगीलाल धाकड़ के बजाय सुखलाल पुत्र मांगीलाल धाकड़ अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया जो इस प्रकार है:–1. अस्वीकार है। ग्राम मानपुरा के आ. नं. 95 रकबा 0.45 है0 सुखदेव पुत्र

ांगीलाल कोम धाकड़ के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। कब्जा वादी स्वयं सिद्ध करे। 2. अस्वीकार है। ग्राम मानपुरा के आ. नं. 95 रकबा 0.45 है0 जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अनुसार सुखदेव पुत्र मांगीलाल कोम धाकड़ के नाम दर्ज रिकॉर्ड हुआ है। इसमें किसी प्रकार की गलती या त्रुटि नहीं हुई है। 3. अस्वीकार है। ग्राम मानपुरा के आ. नं. 96 रकबा 0.50 है0 सुखलाल पुत्र मांगीलाल के नाम दर्ज रिकॉर्ड होने मात्र से ही जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अनुसार दर्ज ग्राम मानपुरा के आ. नं. 95 रकबा 0.45 में सुखदेव पुत्र मांगीलाल की सुखलाल पुत्र मांगीलाल दर्ज रिकॉर्ड किया जाना उचित नहीं है। 4. अस्वीकार है। स्वयं सिद्ध करे। 5. माननीय न्यायायल से सम्बन्धित है। ग्राम मानपुरा के आ. नं. 95 रकबा 0.45 में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 3.06.2006 से सुखदेव पुत्र मांगीलाल कोम धाकड़ दर्ज रिकॉर्ड हुआ है। अत प्रकरण खारिज योग्य है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पेरोकार सरकार ने जवाब को ही बहस मानने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी व तहसीलदार की बहस व रिपोर्ट पर मनन किया। पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 30.06.2006 के अनुसार सुखदेव पुत्र मांगीलाल कोम धाकड़ निवासी गोपालपुरा ने नारायण पुत्र रामकरण कोम कुमावत से कय की। इस बयनामा के आधार पर ही राजस्व रिकॉर्ड में ख. नं. 95 रकबा 0.45 है0 सुखदेव पुत्र मांगीलाल के नाम खातेदार के रूप में दर्ज हुई। प्रार्थी सुखदेव के स्थान पर सुखलाल करवाना चाहता है।

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र धारा 136 एल. आर. एक्ट के तहत पेश किया। जबकि धारा 136 एल. आर. एक्ट के प्रावधान अनुसार बयनामा में हुई त्रुटि को सुधारा नहीं जा सकता है। इस बाबत पेरोकार सरकार ने भी अपने जवाब में प्रार्थना को खारिज योग्य बताया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्री दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी
देवली

Scanned with OKEN Scanner